गंगापुर सिटी में शादी से लौट रहे बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या

मीना बड़ौदा गांव में देर रात बदमाशों ने हत्या की वरदात को अंजाम दिया

गंगापुर सिटी, (निसं)। वजीरपुर उपखंड क्षेत्र के मीना बड़ौदा गांव में देर रात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को उस समय अंजाम दिया गया, जब युवक अपने परिजनों के साथ शादी समारोह से बाइक पर गांव लौट रहा था। बदमाशों ने पहले उनकी बाइक को टक्कर मारी, फिर युवक के पैरों में गोली मार दी। घायल होकर गिरने के बाद उस पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। इस वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत और तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही वजीरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी एवं घायल को राजकीय चिकित्सालय वजीरपुर लेकर आए, जहां से चिकित्सको ने गंगापुर रैफर कर दिया। मृतक की पहचान मीना बड़ौदा निवासी अवधेश (27) पुत्र हरि सिंह मीणा के रूप में हुई है।

- **प्रारंभिक जांच में पुलिस युवक की हत्या के पीछे पुरानी आपसी रंजिश को मुख्य कारण मानकर चल रही है**

मृतक के चाचा सियाराम ने बताया कि वे अपने भाई अमर सिंह और भतीजे अवधेश के साथ रात करीब 10 बजे शादी समारोह से गांव लौट रहे थे। गांव की सीमा के पास अचानक कुछ लोग बाइक और कारों से आए और उनकी बाइक को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने अवधेश के पैरों में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। इसके बाद आरोपियों ने उस पर धारदार हथियारों से भी हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद परिजन गंभीर हालत में अवधेश को पहले वजीरपुर राजकीय हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे गंगापुर सिटी रेफर कर दिया। परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भी दिखाया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद वहां से भी रेफर कर दिया गया। अंतत: गंगापुर सिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने अवधेश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गंगापुर सिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। पुलिस ने हत्या का केस दर्जकर आरोपियों की तलाश शुरू की। परिजनों के अनुसार अवधेश की शादी करीब चार वर्ष पहले हुई थी और उसकी एक बेटी है। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल और गांव में एकत्र हो गए। पुलिस ने गुरूवार को मृतक का पोस्टामार्टम करवा कर शव परिजनो को सौप दिया।

प्रारंभिक जांच में पुलिस हत्या के पीछे पुरानी आपसी रंजिश को मुख्य कारण मानकर चल रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। वजीरपुर थाना पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए आसपास के क्षेत्रों में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगे हुए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

जोधपुर में निजी बस में युवक का शव लटका मिला

जोधपुर, (कासं)। एक युवक का शव बस के अंदर फंदे से लटका मिला है। युवक हमेशा की तरह रात को घर के बाहर खड़ी बस में सोने गया था। सुबह घर नहीं लौटा तो मां ने जाकर देखा। तब शव फंदे पर लटका मिला। घटना माता का थान थाना क्षेत्र स्थित जगदंबा कॉलोनी की है।

- **युवक हमेशा की तरह रात को घर के बाहर खड़ी बस में सोने गया था**
- **सुबह जब युवक घर नहीं लौटा तो मां ने जाकर देखा, तब शव फंदे पर लटका मिला**

पुलिस के अनुसार फलोदी जिले के देचू इलाके के पीलवा रावत नगर निवासी फतेहसिंह की ओर से रिपोर्ट दी गई है। इसमें बताया गया कि उसके भाई अभिमन्यु सिंह का बेटा हर्षवर्धन सिंह (19) जोधपुर से पीलवा के बीच चलने वाली बस में जाकर सोता था, जो जगदंबा कॉलोनी से मुख्य सड़क गली नंबर दो के आगे खड़ी रहती है।

रिपोर्ट के अनुसार छह मई की रात करीब 10.30 बजे हर्षवर्धन घर से खाना खाकर हमेशा की तरह गली के बाहर खड़ी बस में सोने के लिए गया था। रात करीब 11.30 बजे उसकी अपने पिता अभिमन्यु सिंह से मोबाइल पर आखिरी बार बात हुई थी। जब सुबह छह बजे तक हर्षवर्धन घर नहीं लौटा। तब मां गली के बाहर खड़ी बस में उसे देखने गई। बस के बीचों बीच हर्षवर्धन का शव रस्सी से लटका हुआ था। घटना के समय बस का ड्राइवर ठाडिया निवासी उम्मेदाराम विश्नोई बस की छत पर सो रहा था। सूचना पर माता का थान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव फंदे से उतारकर मोर्चरी भिजवाया। पुलिस ने परिजन की रिपोर्ट के आधार पर मर्ग दर्ज किया है। सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है।

तालाब में डूबे 12वीं छात्र के पिता ने सहपाठियों पर हत्या का आरोप लगाया

जोधपुर, (कासं)। पदम सागर में डूबे 12वीं के छात्र के पिता ने सहपाठियों पर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार शहर के पदम सागर तालाब में होली पर 12वीं का छात्र पानी में डूब गया था। घटना के समय इस बारे में मर्ग की रिपोर्ट दी गई थी।

- **12वीं के छात्र सागर वैष्णव की चार मार्च को पदम सागर तालाब में डूबने से मौत हो गई थी**
- **पुलिस की तरफ से मर्ग में पहले ही जांच जारी है, अब हत्या के तहत जांच की जाएगी**

छात्र अपने सहपाठियों संग पदम सागर तालाब पर नहाने के इरादे से गया था। उसे तैरना नहीं आता था और वह पानी में डूब गया था, मगर अब छात्र के पिता ने सहपाठियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कोर्ट में इस्तगासे के माध्यम से खांडाफलसा थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस की तरफ से मर्ग में पहले ही जांच जारी है। अब हत्या के तहत जांच की जाएगी। हालांकि मामला प्रथम दृष्टया मर्ग का ही प्रतीत हुआ है।

थाना अधिकारी सुरेश पोटलिया ने बताया कि पृथ्वीपुरा रसाला रोड निवासी 12वीं के छात्र सागर वैष्णव की 4 मार्च को पदम सागर में डूबने से मौत हो गई थी। वह उस दिन अपने दो तीन दोस्तों संग परीक्षा खत्म होने के बाद पहले गंगश्याम जी मंदिर गए थे, बाद में यह लोग पदमसागर तालाब पर नहाने पहुंचे थे। उसके दो साथियों को तैरना आता था, जबकि सागर को तैरना नहीं आता था। साथियों ने उसे पानी में उतरने से मना भी किया था। मगर सागर ने फिर भी पानी में जंप लगा दी थी, चूंकि उसे तैरना नहीं आता था, ऐसे में वह पानी में डूब गया। उसके साथी पानी से बाहर आ गए थे। काफी लंबी जंप से वह दूर गहने पानी में चला गया था। घटना के बाद शव को बाहर निकालने में पुलिस और गोताखोरों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।

थानाधिकारी पोटलिया ने बताया कि मृतक सागर के पिता प्रभुदयाल वैष्णव ने उसके तीन मित्रों पर हत्या का संदेह जताते हुए केस दर्ज कराया है। उनका कहना है कि वे उसे वहां लेकर क्यूं गए थे। फिलहाल हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। मर्ग में पहले से ही जांच जारी है, अब हत्या का प्रकरण दर्ज कर अग्रिम जांच की जा रही है।

हिस्ट्रीशीटर डालचन्द पर इनाम घोषित

भरतपुर, (निसं)। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज कैलाश चन्द्र विश्नोई ने आदेश जारी कर कुख्यात इनामी हिस्ट्रीशीटर अपराधी डालचन्द पुत्र निहाल सिंह निवासी बरखेडा साद पुलिस थाना नगर जिला डीग पर 40 हजार रूपये का नकद इनाम घोषित किया है। उन्होंने बताया कि अपराधी डालचन्द फरार चल रहा है, जो जिला पुलिस के भरसक प्रयासों के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि अपराधी डालचन्द पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर में वांछित चल रहा है अपराधी के विरूद्ध राजस्थान के विभिन्न पुलिस थानों में 15 प्रकरण दर्ज हैं।

अजमेर में व्यापारी पर हमला, एक गिरफ्तार

अजमेर, (कासं)। रामगंज थाना क्षेत्र में स्टील रेलिंग व्यापारी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर हमले के पीछे की पूरी वजह और अन्य आरोपियों की भूमिका का पता लगाने में जुटी हुई है।

ट्रेनी आईपीएस एवं रामगंज थाना प्रभारी दीपेन्द्र सैनी ने बताया कि व्यापारी खितेश पर पांच आरोपियों ने हमला किया था। मामले में नामजद आरोपी सतगुरु कॉलोनी निवासी विकास कोली को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस के अनुसार सतगुरु कॉलोनी, अजयनगर निवासी राधा कसोटिया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया कि उनके पति खितेश भगवानगंज क्षेत्र में स्टील रेलिंग निर्माण का कार्य करते हैं। 3 मई की रात करीब 7 बजे वे दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान घर से कुछ दूरी पहले बाइक सवार 6-7 युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

घटना में घायल व्यापारी खितेश ने पुलिस को बताया कि दो दिन पहले वह एक रेस्टोरेंट में गए थे, जहां कुछ लोगों के बीच विवाद हो रहा था। उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की और इसी दौरान एक युवक के कंधे पर हाथ रख दिया। बाद में युवक ने आरोप लगाया कि उसका गला पकड़ा गया है। मौके पर ही माफी मांग लेने के बावजूद आरोपी रंजिश रखने लगे और बाद में रास्ते में रोककर हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

10 मई से हीट वेव का अलर्ट

बीकानेर, (निसं)। मई का पहला सप्ताह पार होने से पहले ही बीकानेर में गर्मी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह 11 बजे से ही सूरज की किरणें आग उगलने लगीं, जिससे दोपहर में प्रमुख बाजारों में सन्नाटा पसर गया। 6 मई को अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री से. और न्यूनतम 23.8 डिग्री से. दर्ज किया गया। भीषण गर्मी का सीधा असर व्यापार पर पड़ा है और व्यापारिक टर्नओवर में 20 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। शहर में पानी की मांग 30 प्रतिशत बढ़ गई है। नहरबंदी के कारण आपूर्ति चुनौती बनी हुई है, जिससे गंगाशहर और भीनासर जैसे क्षेत्रों में लोग निजी टैंकरों पर निर्भर हैं। मांग का फायदा उठाकर संचालकों ने दाम 100 से 200 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। गर्मी ने बेजुबानों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। परिंडों का पानी खौलने लगा है और पशु छांव तलाश रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 10 और 11 मई को 45 डिग्री से. डिग्री के साथ हीट वेव का अलर्ट है, जबकि 12 मई को पारा 47 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं।

उदयपुर में दलित समाज की दुल्हन को घोड़ी से उतारने पर मामला गरमाया

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर के डबोक थाना इलाके के हरियाऊ गांव में दलित समाज की दुल्हन को घोड़ी से उतारने का मामला अब गरमाता जा रहा है। इस घटना के विरोध में गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश जताया। पार्टी ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान दुल्हन पूजा मेघवाल भी घोड़ी पर चढ़ कर ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंची।

- **समाजजनों ने उदयपुर कलैक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, दुल्हन भी घोड़ी पर बैठकर पहुंची**

बसपा पदाधिकारी गुरुवार दोपहर को बड़ी संख्या में समाज के लोग नगर निगम परिसर में इकट्ठा हुए। यहां से सभी लोग रैली के रूप में प्रदर्शन करते हुए जिला कलैक्ट्रेट पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और राज्यपाल के नाम जिला कलैक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि गत 29 अप्रैल को पूजा मेघवाल की शादी के दौरान कुछ दबंगों ने उन्हें घोड़ी से उतार दिया था जिससे समाज में भारी रोष है।

बसपा नेताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि इस घटना में करीब 12 से 13 लोग और कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। डबोक थाने में इस संबंध में एफआईआर दर्ज है, लेकिन पुलिस ने अब तक केवल चार लोगों को ही गिरफ्तार किया है। बसपा नेताओं का आरोप है कि बाकी आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने में ढिलाई बरत रही है। पार्टी ने जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए हैं। बसपा पदाधिकारियों ने मांग की है कि वर्तमान जांच अधिकारी मामले में सुस्ती बरत रहे हैं इसलिए इस केस की जांच किसी वरिष्ठ अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारी को सौंपी जाए। वक्ताओं ने कहा कि देश की आजादी के 76 साल बाद भी गांवों में जातिगत भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। इस तरह की मानसिकता को रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने स्पष्ट किया कि दलित समाज अब इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुजन समाज पार्टी ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि फरार आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी नहीं हुई और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। फिलहाल इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति है और पुलिस मामले की निगरानी कर रही है।

कर्तव्य में लापरवाही पर बोरानाडा थाना प्रभारी लाइन हाजिर

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर पुलिस कमिश्नर शरत कविराज ने बोरानाडा थाना इलाके में एक हुक्का बार चलने की शिकायतों के बाद बड़ा एक्शन लिया है। गंगाणा फांटा के पास खुलेआम चल रहे इस हुक्का बार की हकीकत जानने के लिए कमिश्नर खुद मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में स्थानीय थानाधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर इंस्पेक्टर शकील अहमद को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है।

- **जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने एक्शन लिया**

पुलिस सूत्रों के अनुसार, गंगाणा फांटा के निकट क्षेत्र में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित होने की शिकायतें लगातार पुलिस तक पहुंच रही थीं। लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। शिकायतें पुलिस कमिश्नर तक पहुंची तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। बुधवार देर रात कमिश्नर खुद सिविल ड्रेस में गंगाणा फांटा के पास स्थित वेलोरा रेस्टोरेंट पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां खुलेआम युवाओं को हुक्का परोसा जा रहा था। हकीकत सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर ने तुरंत पुलिस थाना बोरानाडा की टीम को मौके पर तलब किया। इस पूरे मामले की प्रारंभिक छानबीन में थानाधिकारी शकील अहमद की भूमिका संदिग्ध और लापरवाही पाई गई। इसके चलते पुलिस कमिश्नर ने कड़ा एक्शन लेते हुए इंस्पेक्टर शकील अहमद को तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया।

भीलवाड़ा में 15 लाख के जेवर लूटने वाले को पकड़ा

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले की रायला थाना पुलिस ने कस्बे में हुई लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार चलाए जा रहे संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम अभियान के तहत रायला थाना पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 15 लाख रुपये के स्वर्ण आभूषणों की लूट के मामले में आरोपी नेहाल बावरी को दबोचा है।

- **बाइक सवार बदमाश बुजुर्ग महिला के हाथ से गहनों भरा बैग छीनकर फरार हो गए थे**

जानकारी के अनुसा 3 मई को प्रार्थी मुकेश कुमार लढ़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 75 वर्षीय माता प्रेम देवी लढ़ा 2 मई की शाम भीलवाड़ा से रोडवेज बस द्वारा रायला आई थी। ईरांस चौराहा बस स्टैंड से उनके पिता उन्हें एक्टिवा पर लेकर घर जा रहे थे। रास्ते में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय के पास बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर बुजुर्ग महिला के हाथ से गहनों भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए।

वारदात के बाद एसपी धर्मेंद्र सिंह के आदेश पर रायला थानाधिकारी मूलचंद वर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने भीलवाड़ा शहर, लाम्बिया कलां टोल नाका और हाईवे के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तकनीकी सहायता और पुराने अपराधियों के हुलिए के मिलान के आधार पर पुलिस आरोपी नेहाल बावरी (21) पुत्र कैलाश बावरी निवासी तालेड़ा (बूंदी) तक पहुँचने में कामयाब रही। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और लूटे गए माल की बरामदगी के प्रयास कर रही है।

बीकानेर में घर से 22 हजार नशे की दवाइयां और कैप्सूल बरामद

बीकानेर, (निसं)। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर के एक घर से बड़ी संख्या में नशे की दवाइयां और कैप्सूल बरामद किए है। मौके से एक युवक को भी हिरासत में लिया है। ये कार्रवाई एसपी मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में गंगाशहर थाना पुलिस ने की थी। बताया जा रहा है दो युवक किराए पर मकान लेकर यहां रहते थे। इनमें से एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था।

कॉन्स्टेबल मुखराम को सूचना मिली थी कि एक घर में बड़ी मात्रा में नशे के कैप्सूल और गोलियां हैं। यहां जब दबिश दी गई तो प्रीगेब्लिन और टेंपटाडोल फॉर्मूला की दवाइयां मिली। पुलिस के अनुसार ये दवाइयां सामान्य तौर पर पेन किलर और इमरजेंसी मेडिसिन के तौर पर काम आती है, लेकिन इनके लगातार यूज से इनकी लत लग जाती है।

थानाधिकारी परमेश्वर सुथार ने बताया कि घड़सीर रोड पर मकान में 22 हजार गोलियां और कैप्सूल मिली है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि ये दवाइयां मकान मालिक की नहीं थी। उन्होंने बताया कि एक युवक फरार है, जबकि दूसरा युवक विपिन मकान में ही मिला था। ड्रग इंस्पेक्टर की ओर से आरोपियों के खिलापु मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों में से एक सादुलगंज स्थित एक मेडिकल स्टोर पर कर्मचारी रह चुका है।

जालोर-सिरोही डेयरी में प्रशासक की नियुक्ति पर रोक

रानीवाड़ा, (निसं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जालोर-सिरोही जिला दुग्ध उत्पादक संघ सहकारी लिमिटेड, रानीवाड़ा में प्रशासक नियुक्त करने के सहकारिता विभाग के निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विभाग चाहे तो चुनाव प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की पीठ ने यह आदेश रानीवाड़ा डेयरी के अध्यक्ष जोगसिंह बालोत की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता के वकील पृथ्वीराजसिंह और हिम्मतसिंह भाटी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता दूग्ध समिति सेदरिया के अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे और कार्यकाल पूरा होने पर उन्होंने समय रहते चुनाव कराने का अनुरोध किया था। इसके बावजूद विभाग ने चुनाव नहीं कराए और अब सेदरिया में अध्यक्ष को हटाकर प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी की जा रही है, जो पूरी तरह अवैध और मनमाना कदम है। अदालत ने मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही, मामले की अगली सुनवाई तक प्रशासक नियुक्त करने पर रोक लगा दी है। रानीवाड़ा डेयरी के अध्यक्ष जोगसिंह बालोत अध्यक्ष बने रहेंगे। इस मामले को इसी तरह की एक अन्य याचिका के साथ जोड़कर सुना जाएगा।

भीलवाड़ा में युवक पर हमला करने वाले पति-पत्नी गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के भीमगंज थाना पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड के पास हुई तलवारबाजी की घटना का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में आरोपी ओमप्रकाश उर्फ ओमा हरिजन और उसकी पत्नी दिव्या हरिजन को चित्तौड़गढ़ से दस्तयाब किया है। गिरफ्तार आरोपी ओमप्रकाश थाना सुभाष नगर का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ चोरी, मारपीट, आर्म्स एक्ट और दुष्कर्म जैसे 9 मामले दर्ज हैं।

जानकारी के अनुसार 2 मई को प्रार्थी राहुल वैष्णव (20), निवासी बिजयनगर, हाल संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राहुल ने बताया कि 1 मई की रात करीब 12:15 बजे वह महात्मा गांधी चिकित्सालय से चाय पीकर बस स्टैंड के पास बैठा था। इसी दौरान ओमप्रकाश अपनी पत्नी के साथ वहां आया और राहुल से सिगरेट व रुपए मांगने लगा। मना करने पर ओमप्रकाश ने कपड़े में छिपाई हुई तलवार निकाली और राहुल पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में राहुल के हाथ और पैर पर गंभीर घाव हो गए, जिसके बाद उसे 8 टांके आए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आरोपी ओमप्रकाश का लंबा आपराधिक इतिहास है। पुलिस के अनुसार आरोपी ओमप्रकाश उर्फ ओमा (20) एक शातिर अपराधी है। वारदात की गंभीरता को देखते हुए एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार एएसपी पारसमल जैन और डीएसपी सज्जन सिंह के सुपरविजन में भीमगंज थानाधिकारी सुनील चौधरी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया और उन्हें चित्तौड़गढ़ जिले से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस अब आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त तलवार की बरामदगी और अग्रिम अनुसंधान में जुटी है।

हमला करने का मामला : साक्ष्यों के अभाव में पूर्व पार्षद सहित सभी आरोपी बरी

अजमेर में पार्किंग विवाद को लेकर हुये हमले के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया

अजमेर, (कासं)। स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-5 ने वर्ष 2022 के बहुचर्चित जानलेवा हमले के मामले में फैसला सुनाते हुए पूर्व पार्षद सहित सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसके चलते सभी आरोपियों को ससम्मान बरी किया गया।

- **कोर्ट ने कहा कि संदेह मात्र के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और आरोप सिद्ध करने के लिए स्पष्ट एवं विश्वसनीय साक्ष्य आवश्यक हैं**

जानकारी के अनुसार मामला 14 जुलाई 2022 का है, जब अंदरकोट निवासी मजहर खान ने दरगाह थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पार्किंग विवाद को लेकर पूर्व पार्षद मुख्तयार अहमद सहित अन्य आरोपियों ने तलवारों और लोहे की सरियों से उन पर हमला किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुख्तयार अहमद, आफताब अहमद, शफीक अहमद, आदिल मोहम्मद, हबीबुल्लाह, रईस सुलेमानी, अनीस सुलेमानी, आफताब उर्फ मुन्ना, अशरफ अहमद, मोहम्मद आसिफ, रईस खान तथा मोहम्मद तौसीफ के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय त्रिपाठी और श्वेता सिंह चौहान ने अदालत में विस्तृत पैरवी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। साथ ही कथित घटना में प्रयुक्त हथियारों अथवा अन्य वस्तुओं की बरामदगी भी प्रमाणित नहीं हो सकी। सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों का परीक्षण किया। न्यायाधीश भानु कुमार ने अपने निर्णय में कहा कि संदेह मात्र के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और आरोप सिद्ध करने के लिए स्पष्ट एवं विश्वसनीय साक्ष्य आवश्यक हैं। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए बरी करने के आदेश जारी किए। इस फैसले के बाद न्यायालय परिसर में आरोपियों और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली। वहीं कानूनी जानकारों का कहना है कि यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्यों की महत्ता को पुन: स्थापित करता है।

बूंदी : 25 हजार की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी गिरफ्तार

बूंदी/कोटा, (निसं)। जिले में एसीबी की स्पेशल यूनिट कोटा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति केशोरायपाटन के ग्राम पंचायत सखावदा में तैनात ग्राम विकास अधिकारी सतवीर सिंह कुमावत को 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा के नेतृत्व में की गई।

एसीबी के अनुसार परिवादी ने 5 मई को शिकायत दी थी कि उसने स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में कचरा संग्रहण, नाली सफाई और सामुदायिक परिसरों की साफ-सफाई जैसे कार्य करवाए थे। इन कार्यों के करीब 1 लाख 50 हजार रुपए के बिल ग्राम विकास अधिकारी को सौंपे गए थे, लेकिन भुगतान जारी करने की एवज में आरोपी ग्राम विकास अधिकारी रिश्वत की मांग कर रहा था।

एसीबी की स्पेशल यूनिट कोटा ने ग्राम विकास अधिकारी को पकड़ा।

- **बिलों के भुगतान जारी करने की एवज में आरोपी ग्राम विकास अधिकारी रिश्वत की मांग कर रहा था**

शिकायत में यह भी बताया गया कि आरोपी अधिकारी पहले से जारी अन्य योजनाओं के कार्य ग्राम पंचायत क्षेत्र में बिना रुकावट चलने देने और परेशान नहीं करने की एवज में भी 25 हजार रुपए मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी कोटा ने मामले का गोपनीय सत्यापन करवाया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। जिसके बाद एसीबी स्पेशल यूनिट कोटा ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। गुरुवार को टीम ने जाल बिछाकर ग्राम विकास अधिकारी सतवीर सिंह कुमावत परिवादी से 25 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी अधिकारियों के अनुसार आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल, आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके ठिकानों की भी जांच की जा रही है। करवाई एसीबी उच्च अधिकारियों के निर्देशन में जारी है।